राजस्व लोक अदालत /
स्थान हथिनाबाड़ी दिनांक 13/5/16

पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित हैं। वादिनी श्रृंगारीबाई द्वारा उपस्थित होकर कथन किये कि वह आगे दावा नहीं चलाना चाहती। इन पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है।

पक्षकारों की भजमे आम में पहचान सुनिश्चित करवाई गई। प्रकरण में चूंकि वादिया वाद की स्वामिनी है, अतः वाद को विड्रॉ करना चाहती है।

अतः प्रकरण में वाद विड्रॉ की अनुमति दी जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही अवशेष नहीं रहने से पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर दा० द० हो।

निर्णय आज दि० 13/5/16 को राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
I.A.S. प्रशिक्षु
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

बा० नि० श्रृंगारीबाई

अ० नि० गणेश

रायका
पहचान कर्ता
हंसराज S/o [illegible] राइका नि० [illegible]
[illegible]
पटवारी [illegible]